(28)

अपेटा

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 1 (43)नविवि/3/09 जयपुर, दिनांक 22.4.2010

परिपत्र

विषय:— राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90बी की क्रियान्विति के संबंध में।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 25.2.09 के क्रियान्वयन के संबंध में कृषि भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी करने के संबंध में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु कतिपय निकायों द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। इस कारण औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी करने के प्रयास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से परिपत्र दिनांक 25.2.09 के बिन्दु संख्या 22 (अ) व (ब) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :—

(अ) समस्त विकास प्राधिकरण / न्यास / स्थानीय निकायों द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ 10,000 वर्गमीटर तक एकल पट्टा जारी किया जा सकेगा।

(ब) ऐसे समस्त प्रकरण जिनमे राज्य स्तरीय समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति जारी की जा ... उन प्रकरणों में बिन्दु संख्या 22 (अ) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा तक पट्टा समस्त विकास प्राधिकरण / न्यास / स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया जा सकेगा। राज्य सरकार को बिन्दु संख्या 22 (अ) में निर्धारित क्षेत्रफल की सीमा से अधिक ऐसे प्रकरण ही प्रेषित किये जावें जिनमें राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के स्तर पर भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नही है।

(गुरदयाल सिंह संधू)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर ....।
7. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण / जोधपुर विकास प्राधिकरण।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
11. मुख्य नगर नियोजक (NCR), राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-द्वितीय